प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/ 4246 दिनांकः 15 .09.2022

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद चित्रकूट की भ्रमण आख्या के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आपके जनपद चित्रकूट की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 05 एवं 08 सितम्बर, 2022 के मध्य किया गया। जिसकी भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या 15 कार्य दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– विस्तृत भ्रमण आख्या।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

तद्दिनांक

पत्रांकः SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट मण्डल, बांदा।
3. समस्त महाप्रबन्धक/विभागाध्यक्ष, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति/जिलाधिकारी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक/मण्डलीय शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चित्रकूट मण्डल, बांदा।

(श्री पराग वराड पाण्डेय)
महाप्रबन्धक, ई.एम.टी.एस.

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/ दिनांकः 15 .09.2022

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय टीम द्वारा जनपद चित्रकूट की भ्रमण आख्या के सम्बंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आपके जनपद चित्रकूट की स्वास्थ्य इकाईयों का भ्रमण दिनांक 05 एवं 08 सितम्बर, 2022 के मध्य किया गया। जिसकी भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि विस्तृत भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या 15 कार्य दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक— विस्तृत भ्रमण आख्या।

भवदीया

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्रांकः SPMU/NUHM/Visit Report/2022-23/4246-5 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूट मण्डल, बांदा।
3. समस्त महाप्रबन्धक / विभागाध्यक्ष, एस.पी.एम.यू., एन.एच.एम., उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति / जिलाधिकारी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक / मण्डलीय शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चित्रकूट मण्डल, बांदा।

(श्री पराग वराड पाण्डेय)
महाप्रबन्धक, ई.एम.टी.एस.

भ्रमण आख्या – जनपद चित्रकूट, 05–08 सितम्बर, 2022

भ्रमण टीम के सदस्य

1. श्री पराग वराड पाण्डेय – महाप्रबन्धक, ई.एम.टी.एस.
2. श्री अजय कुमार वर्मा – परामर्शदाता एम एण्ड ई
3. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव – कार्यक्रम समन्वयक, नियोजन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद चित्रकूट का दिनांक 05 से 08 सितम्बर तक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या निम्नवत् है–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पहाडी

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कैम्पस के अन्दर इकाई के प्रवेश द्वार पर दो पहिया वाहन खडे थे।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बनायी गयी वाटिका का रख रखाव बहुत ही सुन्दर तरीके से किया जा रहा है।
3. फार्मेसी के अन्तर्गत वर्तमान में 03 फार्मासिस्ट की तैनाती इकाई स्तर पर है, परन्तु किसी के द्वारा भी ई0डी0एल0 के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नही करायी जा सकी।
4. औषधियों हेतु इन्डेंट इकाई के स्तर से मैनुएल रुप में किया जा रहा है।
5. फार्मेसी हेतु उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर सिस्टम को इकाई पर अन्य कार्य हेतु उपयोगित किया जा रहा है।
6. फार्मेसी के रिकार्ड अपूर्ण पाये गये।
7. मेडिसीन स्टाक से सम्बन्धित रिकार्ड का चिकित्साधिकारी के स्तर से वेरीफिकेशन नही किया गया था।
8. स्टोर में औषधियों को बिना किसी क्रम और सूची के रखी हुई थी।
9. दैनिक ओ.पी.डी. में कौन कौन सी दवाएं कितनी मात्रा में वितरित हुई और कितनी शेष है इसका कोई रिकार्ड नही तैयार किया जा रहा था।
10. उपरोक्त के सम्बन्ध में चिकित्साधिकारी के द्वारा तीनों फार्मासिस्ट को स्पष्टीकरण पत्र देते हुये 02 दिवस में पायी गयी समस्त कमियों के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।
11. कण्डोम बाक्स एवं शिकायत पेटिका इकाई के इकाई में सामने नही लगी थी।
12. इकाई पर किये जाने वाले समस्त लैब टेस्ट की सूची प्रदर्शित नही थी।
13. बायोमेडिकल से सम्बन्धित समस्त वेस्ट को एक ही डब्बे में एकत्रित किया जा रहा था।
14. इकाई स्तर पर बायोमेडिकल बेस्ट का निस्तारण सम्बन्धी प्रोटोकॉल को फालो नही किया जा रहा था।
15. विगत 03 माह से सी.बी.सी. रिजेण्ट इकाई पर उपलब्ध नही है।
16. लैब में उपयोग की जानी वाली समस्त सिरिंज को बिना हबकटर से कट किये हुये अन्य कचरे के साथ सीधे डस्टबिन में डाला जा रहा था।
17. ओ.पी.डी. रजिस्टर मे सिरियल नम्बर नंही डाला जा रहा था।
18. ओ.पी.डी. रजिस्टर में लिखे हुये विवरण को पढा नही जा पा रहा था।
19. आर.बी.एस.के टीम के द्वारा रिकार्ड पूर्ण नही भरे जा रहे है, उम्र के कालम मे कक्षा का विवरण अंकित किया जा रहा था एवं अन्य कालम भी पूर्ण नही थे।
20. बिमार बच्चों एवं उनके परिवार का कोई भी विवरण टीम के पास नही था बच्चों की फोटो भी टीम के द्वारा नही ली जा रही थी।

21. रेफरल से सम्बन्धित रिकार्ड भी टीम के पास उपलब्ध नही थे।
22. टीम द्वारा उपयोग में लाये जा रहे वाहन के लागबुक पर टीम द्वारा आज हस्ताक्षर नही किये गये टीम के द्वारा अवग़त कराया गया।
23. मांगे जाने पर लॉग बुक टीम एवं डाइवर के द्वारा उपलब्ध नही करायी जा सकी।
24. एन.बी.एस.यू. के सामने शूज रैक एवं शू कवर/चप्पल उपलब्ध नही थी एवं स्टाफ के द्वारा एन.बी. एस.यू. कक्ष में बिना किसी प्रोटोकॉल को फालो किये आया जाया जा रहा था।
25. एन.बी.एस.यू. कक्ष में ए.सी. नही लगा था।
26. एन.बी.एस.यू. स्टाफ के द्वारा बच्चों का वजन करते हुये नीचे बिछाये गये काटन के वेट को घटाया या मशीन को 0 करके वजन नही किया जा रहा था।
27. एम्बु बैग के समस्त पार्ट उपलब्ध नही थे।
28. कार्ड क्लैम्प एवं ग्लब्स मई, 2021 के कालापीत पाये गये।
29. रेफरल रिकार्ड पूर्ण नही किये जा रहे थे।
30. प्रथम तल के खूले क्षेत्र में डस्टबीन को रखा जाये जिससे तीमददारों द्वारा गन्दगी वस्तुओं के निस्तारण हेतु डस्टबीन का उपयोग किया जा सके। सम्भव हो तो पीने के पानी की व्यवस्था प्रथम तल पर भी करायी जाये जिससे मरीजों को पीने के पानी सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो।
31. प्रथम तल की कुछ भाग की छत खराब हो गयी है इस हेतु जनपद/ब्लाक स्तर से आवश्यक कार्यवाही करते हुये इसको ठीक कराया जाना है।
32. प्रसव कक्ष में कार्य संतोष जनक पाया गया, परन्तु केसशीट पूर्ण नही भरी जा रही थी।
33. एम्बुलेंस स्टाफ ड्रेस में नहीं पाए गए , केस शीट व हन्डोवर रजिस्टर अपूर्ण पाए गए।
34. एम्बुलेंस में ए. सी. कार्य नहीं कर रहा था।

राज्य स्तरीय टीम के द्वारा भ्रमण के अन्तिम दिवस पर पुनः भ्रमण किया गया और पाया गया कि उपरोक्त पर सुधारात्मक कार्यवाही अधीक्षक के स्तर से किया जा रहा था।

<u>जिला संयुक्त चिकित्सालय – चित्रकूट</u>

1. जिला संयुक्त चिकित्सालय की साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक थी।
2. शिकायत पेटिका एवं काण्डोम बाक्स इकाई के ओ.पी.डी. एरिया में नही लगे हुये पाये गये।
3. ब्लड बैंक के मुख्य द्वार के अन्दर लाइट के बोर्ड जले हुये थे एवं लगी हुई शिकायत पेटिका की चाभी मांगे जाने पर स्टाफ द्वारा उपलब्ध नही करायी जा सकी।
4. स्टाफ द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन नही किया जा रहा था।
5. लैब के अन्दर किये जाने समस्त जांचो की सूची को प्रदर्शित नही किया गया है।
6. स्टाफ द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन नही किया जा रहा था। जबकि कलर कोटेड डस्टबिन उपलब्ध थे।
7. <u>एनआरसी–</u>
    a. स्टाफ द्वारा रिकार्ड को अपडेड नही किया जा रहा था।
    b. स्टाक रजिस्टर अपूर्ण था।
    c. कई दवाइयां कालातीत एवं नियर एक्सपायरी पायी गयी। जैसे – पैरासीटामॉल, एल्बेंडाजोल सिरपए इल्यादि।
    d. स्टाफ द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन नही किया जा रहा था। जबकि कलर कोटेड डस्टबिन उपलब्ध थे।
    e. रेफरल रिकार्ड उपलब्ध नही पाया गया।
8. <u>पी0एन0सी0 वार्ड–</u>
    a. पी0एन0सी0 वार्ड की साफ–सफाई संतोषजनक पायी गयी।
    b. हैण्ड वासिंग हेतु बने बेसिन में एलबोटैब नही लगा था।

c. लाभार्थियों को जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले खाने को बिना ढके बाटने हेतु लाया जा रहा था और किचन में रखें हुये खाने पर मक्खीयां बैठी हुई पायी गयी।

d. इकाई पर खाने को बाटने हेतु ट्राली उपलब्ध है, परन्तु इसका उपयोग नही किया जा रहा था।

9. लेबर रूम–

a. लेबर रूम की साफ–सफाई संतोषजनक पायी गयी।
b. लेबर रूम में लगे इनर्वटर की बैट्री खराब पायी गयी
c. लेबर रूम के बाहर गलियारे में टूटी कुर्सियां व मेज रखे हुये थे।
d. प्रसव कक्ष में प्रसव हो रहे थे इस कारण प्रसव कक्ष का निरीक्षण नही किया जा सका।
e. माह सितम्बर, 2022 की कालातीत औषधियां पायी गयी जो कि इस माह में बचे शेष दिवस के अनुमानित उपयोग से ज्यादा थी और इनके उचित उपयोग हेतु पूर्व से मुख्य स्टोर को सूचित भी नही किया गया था।

10. औषधि वितरण कक्ष–

a. औषधियों के डिमाण्ड हेतु मैनुएल तरीके का उपयोग किया जा रहा था, डी.वी.डी.एस.एम. पोर्टल के माध्यम से कैसे इन्डेण्ट किया जाना है इसकी जानकारी फार्मासिस्ट को नही थी।
b. डेली कन्जप्शन रजिस्टर, एक्सपायरी रजिस्टर एवं स्टाक रजिस्टर नियमानुसार पूर्ण नही भरा जा रहा है।
c. फार्मासिस्ट से पूछे जाने पर कि क्या किसी भी एक औषधि के स्टाफ को रजिस्टर एवं भौतिक रुप से सत्यापन किया जा सकता है अवगत कराया गया कि यह मैच नही हो पायेगा।
d. डेली कन्जप्शन रजिस्टर में लाभार्थीवार दी जाने वाली औषधियों का कोई भी रिकार्ड दर्ज नही किया रहा था।
e. स्टोर में रखी हुई औषधियों पर लेबलिंग नही की गयी थी।

11. एस0एन0सी0यू0 कक्ष –

a. साफ–सफाई व्यवस्था संतोष जनक पायी गयी।
b. के.एम.सी. कक्ष में लगी ए0सी0 खराब पायी गयी।

12. चिकित्सालय में कई जगह खुले हुये बिजली के तार थे, जिनको ठीक कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
13. काउन्सलिंग हेतु परिवार नियोजन एवं एच.आई.वी. काउन्सलर एक ही कक्ष में बैठी हुई थी एवं यहां मरीजों के बैठने हतु पर्याप्त स्थान एवं गोपनीयता नही थी।
14. ए.एन.एम. के द्वारा ए.एन.सी. की जा रही थी, परन्तु ए.एन.एम. के पास बी.पी. इन्सटूमेंट, हाइट स्केल, वजन मशीन उपलब्ध नही था।
15. ए.एन.एम. एवं वहां उपस्थित एल.एम.ओ. को हाई रिक्स प्रेगनेंसी के लक्षणों के विषय में जानकारी नही थी।
16. ए.एन.एम. के द्वारा हब कटर का उपयोग नही किया जा रहा था।
17. ए.एन.एम. को विटामीन ए की बोतल खोलने के बाद कितनी दिन तक उपयोग लानी है इसकी जानकारी नही है।
18. कहीं पर भी कण्डोम बॉक्स नही लगा पाया गया एवं चिकित्सालय के रैम्प में काफी मात्र में टूटी हुयी बेड, कुर्सियां, मेजे, अल्मारी आदि कण्डम समान रखा गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से वार्ता कर सभी समाग्री को नियमानुसार कण्डम कराने हेतु कहा गया।
19. एम्बुलेंस स्टाफ ड्रेस में नहीं पाए गए , केस शीट व हन्डोवर रजिस्टर अपूर्ण पाए गए।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – चित्रकूट

1. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारी भवन में संचालित किया जा रहा है।
2. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित पाये गये।
3. निरीक्षण के समय 47 मरीजों को ओ0पी0डी0 में देखा गया था।
4. लैब में की जाने वाली समस्त जॉचों को प्रदर्शित किया जाये।
5. शौचालय में लगी वाश वेसिन का उपयोग नाली चोक होने के कारण नही किया जा रहा है। अतः इसको हटाया जाना उचित होगा।
6. वर्तमान में संचालित वाश वेसिन के नीचे गढ्ढा है अतः यहां प्लेटफार्म बनाया जाना उचित है।
7. कोविड वैक्सीनेशन के दौरान उपयोग में लायी जा रही सिरिंज को कट नही किया जा रहा था।
8. विटामीन ए, माला एन, निश्चय कीट माह अक्टूबर, 2022 में कालातीत होने वाली पायी गयी और इनकी संख्या विगत समय में उपयोग में लायी गयी संख्या से काफी अधिक थी।
9. रेफरल स्लीप पूर्ण रुप से नही भरी जा रही थी।
10. पीपीआईयूसीडी फालोअप कार्ड को क्रमवार एवं पूर्ण रुप से भरा जाय।
11. अग्निशमन यन्त्र लेबर रुम में रखा हुआ पाया गया इसको कमरे के बाहर उचित स्थान पर लगाया जाना उचित है।
12. औषधि रजिस्टर में इन्डेक्स नही भरा गया है।
13. इकाई पर ई0डी0एल0 की समस्त औषधियों की सूची प्रदर्शित नही थी।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – इटवा डुडैला

1. इकाई की साफ सफाई व्यवस्था बहुत खराब पायी गयी। पूरे कैम्पस में घास लगी हुई थी।
2. इकाई पर पावर बेकअप की कोई व्यवस्था नही थी।
3. विगत 2 माह पहले केवल पुराना इन्वर्टर सी.एच.सी. के द्वारा इकाई पर उपलब्ध कराया गया है।
4. इन्वर्टर के साथ बैटरी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी है।
5. इकाई पर पानी की कोई व्यवस्था नही पायी गयी।
6. फार्मासिस्ट के द्वारा मैनुएल तरीके से दवाओं की इन्डेटिंग की जा रही है। डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल का उपयोग नही किया जा रहा है।
7. इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर फार्मासिस्ट के द्वारा कोई भी उचित जवाब नही दिया जा सका।
8. इकाई पर लैपटाप/कम्प्यूटर उपलब्ध नही कराया गया है।
9. जन आरोग्य समिति की गठन की प्रकिया की जा रही है।
10. रोगी कल्याण समिति से सम्बन्धित बैठक एवं प्राप्त होने वाले/किये जाने वाले कार्य का कोई भी विवरण इकाई के चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट के पास उपलब्ध नही था।
11. फार्मासिस्ट के द्वारा मांगे जाने पर कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नही कराया जा सका।

वी.एच.एन.डी. सत्र उपकेन्द्र – इटवा डुडैला, ब्लाक मानिकपुर

1. उपकेन्द्र पर पूर्व में तैनात ए.एन.एम. मीरा देवी के स्थानान्तरण होने के उपरान्त ए.एन.एम. अनीता की तैनाती की गयी है, परन्तु अभी तक मीरा देवी के द्वारा चार्ज हैण्डओवर नही किया गया है।
2. उपकेन्द्र पर ए.एन.एम. अनीता के द्वारा वी.एच.एन.डी. का आयोजन किया जा रहा था।
3. ए.एन.एम. के द्वारा ड्यू लिस्ट बनायी गयी थी।
4. ड्यू लिस्ट के अनुसार 19 टीके लगने थे भ्रमण के समय मात्र 03 टीके लगे हुये थे।
5. ए.एन.एम. को एच.आर.पी. के विषय में पूर्ण जानकारी का अभाव पाया गया।
6. ए.एन.एम. के द्वारा ई–कवच पोर्टल का उपयोग आई.डी. एण्ड पासवर्ड उपलब्ध न होने के कारण नही किया जा रहा था।
7. ए.एन.एम. के द्वारा काउन्टर फाइल नही बनायी जा रही थी।
8. ए.एन.एम. के द्वारा ए.एन.सी. के दौरान गर्भवती महिलाओं की समस्त जॉचे नही की जा रही थी।

वी.एच.एन.डी. सत्र उपकेन्द्र – मारकुण्डी, ब्लाक मानिकपुर

1. उपकेन्द्र पर ए.एन.एम. प्रियंका द्विवेदी के द्वारा वी.एच.एन.डी. का आयोजन किया जा रहा था।
2. उपकेन्द्र पर पानी एवं बिजली की कोई व्यवस्था नही थी।
3. ए.एन.एम. के द्वारा ड्यू लिस्ट बनायी गयी थी।
4. ड्यू लिस्ट के अनुसार 41 टीके लगने थे भ्रमण के समय मात्र 06 टीके लगे हुये थे।
5. ए.एन.एम. को एच.आर.पी. के विषय में पूर्ण जानकारी का अभाव पाया गया।
6. ए.एन.एम. के द्वारा काउन्टर फाइल नही बनायी जा रही थी।
7. ए.एन.एम. के द्वारा ए.एन.सी. के दौरान गर्भवती महिलाओं की समस्त जॉचे नही की जा रही थी।
8. टैलीशीट पूर्ण नही पायी गयी।
9. सत्र स्थल पर निश्चय कीट कालातीत पायी गयी।
10. सत्र स्थल पर आर.बी.एस.के. टीम ए उपलब्ध पायी गयी।
11. टीम के सैम एवं अन्य बच्चों को देखा जा रहा था।
12. टीम के उपयोग में लाये जा रहे वाहन की लॉगबुक उपलब्ध नही थी।
13. आर.बी.एस.के. टीम के द्वारा उपयोग में लाये जा रहे वाहन के डाइवर श्री विजय के पास उपलब्ध डाइविंग लाइसेंस नानकार्मसियल था।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, उपकेन्द्र – मनगवा

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर ताला गया हुआ पाया गया।

हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, उपकेन्द्र – मारकुण्डी

1. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर पानी की व्यवस्था नही है।
2. सी.एच.ओ. के पास टैबलेट उपलब्ध नही था।
3. सी.एच.ओ. श्री अश्वेन्द्र के द्वारा अवगत कराया गया कि परदों हेतु वेन्डर को रु 2500 का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु अभी तक वेलनेस सेन्टर पर परदों की उपलब्धता नही हुई है।
4. ओ.पी.डी. रजिस्टर में पेज खाली छोडे गये थे।
5. दिनांक 05.09.2022 की ओ.पी.डी. को पेज के प्रारम्भ से न लिखकर आधे पेज को छोडते हुये नीचे से लिखा गया था, जोकि संदिग्धता प्रतीत कराता है।
6. जॉच रजिस्टर में जून के बाद से कोई भी जॉच दर्ज नही की गयी थी।
7. सी.एच.ओ. को माला एन का उपयोग कैसे किया जाना है इसकी जानकारी नही थी।
8. हीमोग्लोबिनो मीटर के उपयोग के विषय में जानकारी का अभाव पाया गया।
9. रजिस्टर में बी.पी. दर्ज थी, परन्तु बी.पी. इन्सटुमेंट खराब पाया गया।
10. सी.एच.ओ. के द्वारा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विषय में जानकारी का अभाव पाया गया।
11. मेडिसीन स्टाक रजिस्टर अपूर्ण पाया गया।
12. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर माला एन, होमीग्लोबीनो स्टीप, ग्लोको स्टीप, जेंटामाइसीन, डेक्सामेथाजोन इत्यादि कालातीत औषधियां पायी गयी।
13. डी.वी.डी.एम.एस. पोर्टल का उपयोग नही किया जा रहा है।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के साथ वार्ता कर अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराते हुये कमियों को यथाशीघ्र निस्तारण हेतु आश्वासन दिया गया।